



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 चैत्र 1944 (श10)
(सं0 पटना 143) पटना, बुधवार, 30 मार्च 2022

[kk | , oamiHkkDrk | j{k.k foHkkx

अधिसूचना

29 मार्च 2022

जी0 एस0 आर0 02, दिनांक 30 मार्च 2022—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (उपभोक्ता मामले विभाग) के विशिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध) हटाना आदेश 2016 द्वारा प्रकाशित का0 आ0 4146 (अ) दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 एवं का0 आ0 452 (अ) दिनांक 03 फरवरी, 2022 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा 03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन के संबंध में बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एकीकरण) आदेश 1984, सह पठित विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 45, दिनांक 05.01.2022 द्वारा खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन के संबंध में निर्गत आदेश 30 जून, 2022 तक विस्तारित करते हैं।

सं० प्र04-आ0-01/09(खंड-III)-1477

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार,

सरकार के सचिव।

The 29th March 2022

GSR.02 dated 30th March 2022—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Act 10 of 1955) read with the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on specified foodstuffs Order, 2016, published through S.O. 4146 (E) dated 08 October, 2021 and published through S.O. 452 (E) dated 03 February, 2022 by Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food & Public Distribution), the Governor of Bihar is hereby pleased to extend the Order made regarding edible oil and edible oilseeds by the department's Notification No. 45 dated 05.01.2022, read with the Bihar Trade Articles (Unification of Licenses) Order, 1984 up to 30 June, 2022 .

No. Pra-04-aa-01/09-(Part-III)-1477

By order of the Governor of Bihar,

Vinay Kumar,

Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 143-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>